पत्र सं०–10/मार्ग–01 (बक्सर) 10/2014सा०प्र०......4381........../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर ।

पटना–15, दिनांक....1.4.14........

विषयः– मृत चौकीदार/दफादार के आश्रित नाती–पोता को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के बिन्दु पर मार्ग निदेश देने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–01–0111 दिनांक 18.01.2014 के प्रसंग में कहना है कि उक्त विषय के संबंध में गृह (आरक्षी) विभाग के परिपत्र संख्या–4668 दिनांक 24.06.2011 निर्गत है, जो प्रचारित है ।

अतः गृह (आरक्षी) विभाग के परिपत्र संख्या–4668 दिनांक 24.06.2011 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि परिपत्र में निहित प्रावधान के आलोक में कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

अनु0–यथाउपर्युक्त ।

विश्वासभाजन

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

संकल्प

पटना, 24 जून, 2011

पत्र सं0 – 1/चौ0दफा0–90–01/2001 गृ0आ0 4668 /गृह (आरक्षी) विभागीय अधिसूचना सं0 1/चौ0दफा0–90–01/2001 गृ0आ0 9339, दिनांक 25.08.2008 द्वारा निर्गत नियमावली में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी आश्रित परिवार को परिभाषित नहीं किया गया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना (तदेन) के ज्ञाप सं0– 3/सी02–2067/90 का0 13293 दिनांक 05.10.1991 द्वारा जारी परिपत्र की कंडिका 1 (घ) में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की निर्धारित सूची के अनुसार मृत सेवक की पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री तथा पुत्र की विधवा पत्नी एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना (तदेन) के परिपत्र सं0 3/अनु02–03/2004 का0 512, दिनांक 12.05.2005 की कंडिका–4 में दत्तक पुत्र एवं दत्तक अविवाहित पुत्री भी मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की सूची में आते हैं। कालक्रम में तलाकशुदा पुत्री को कुछ शर्त्तों के साथ और अविवाहित सरकारी सेवक की स्थिति में छोटा भाई, अविवाहित छोटी बहन एवं विधवा माँ को आश्रित की श्रेणी में लाया गया है।

(2) गृह (आरक्षी) विभाग के परिपत्र सं0 1683 दि0 19.11.1994 द्वारा आश्रितों में अगर बेटा–बेटी न हो तो उनके नॉमनी में से एक को बॉण्ड लेकर अपवादस्वरुप भतीजा या नाती को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त परिपत्र सं0 11287 दिनांक 20.12.1995 द्वारा मृत दफादार के आश्रितों में विधवा पत्नी/पुत्र–पुत्री या भतीजा या भाई या नाती को भी अनुकम्पा के आधार पर चौकीदार के पद पर नियुक्त करने का प्रावधान किया गया तथा परिपत्र सं0 10129 दिनांक 06.11.1991 द्वारा चौकीदार की मृत्यु के फलस्वरुप रिक्त पद पर चौकीदार की पत्नी की अनुशंसा पर मृतक के पुत्र या भाई अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य की अनुकम्पा के आधार पर चौकीदार के पद पर नियुक्ति संबंधी प्रावधान सभी नियमों एवं प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए किया गया।

(3) दिनांक 01.01.1990 के प्रभाव से चौकीदार/दफादार को सरकारी सेवक की मान्यता प्रदान की गई है। सरकारी सेवकों के संबंध में नियुक्ति/अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा प्रतिपादित नियम ही सभी विभागों पर समान रुप से प्रभावी होते हैं और इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (तदेन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत परिपत्र/निर्गत किये जाने वाले परिपत्र ही सभी विभागों पर समान रुप से प्रभावी होने चाहिए एवं इन परिपत्रों द्वारा प्रतिपादित नियमों का ही अनुपालन करना समीचीन होगा। ऐसी स्थिति में चौकीदार/दफादार सहित सभी मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के लिए अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति एवं इस नियुक्ति के लिए आश्रितों की सूची सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित सूची के ही समान होना नियमानुकूल होगा।

(4) उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में गृह (आरक्षी) विभागीय परिपत्र सं0 9/लें0–207/1991 गृ0आ0 10129 दि0 06.11.1991, 9/लें0–208/1994 गृ0आ0–1683 दि0 19.11.1994 तथा सं0 9/लें0–207/1994 गृ0आ011287 दि0 20.12.1995 को सम्यक विचारोपरांत सरकार ने, इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि के प्रभाव से, विलोपित करने का निर्णय लिया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि इस संकल्प के निर्गत होने के पूर्व तक उपर्युक्त परिपत्रों के प्रभावी रहने की अवधि में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त सभी चौकीदार/दफादार विधिवत् रुप से सरकारी सेवा में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त माने जाएँगे और जिन ऐसे मामलों को इस आधार पर अस्वीकृत किया गया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र से आच्छादित नहीं है उन मामलों में पूर्व में निर्गत गृह विभागीय परिपत्रों के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

(5) इस संकल्प पर सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

24.6.2011

(आमिर सुबहानी)

सरकार के सचिव